(17)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 736–तीन/2014 विरूध्द आदेश दिनांक 17–09–2013 पारित तहसीलदार, बकस्वाहा जिला छतरपुर प्रकरण कमांक 94/अ–3/2012–13.

बसेताबाई पुत्री कमलापत
नि0 ग्राम दरदौनिया, तह0 बकस्वाहा,
जिला छतरपुर, म0प्र0

—— आवेदक

विरूध्द

1– खड़िया पिता जगन्नाथ अहीर
नि0 ग्राम दरदौनिया, तह0 बकस्वाहा,
जिला छतरपुर, म0प्र0
2– मध्यप्रदेश शासन

—— अनावेदकगण

श्री अशोक कुमार जैन, अभिभाषक – आवेदक
श्री सुरेश रजक, अभिभाषक– अनावेदक क0–1

आदेश

(आज दिनांक 11.8. 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार, बकस्वाहा जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 94/अ–3/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 17–09–2013 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक खड़िया तनय जगन्नाथ व्दारा अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि खसरा नं0 58/4 तथा 1/1 कुल किता 2 कुल रकबा 1.137 हे0 पर पटवारी अभिलेख में लाल स्याही से नक्शा तरमीम करने हेतु आवेदनपत्र संहिता की धारा 70 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने दिनांक 07–12–12 को प्रकरण पंजीबध्द कर इश्तहार जारी करने तथा राजस्व निरीक्षक को नक्शा तरमीम प्रस्ताव पेश करने के आदेश दिये। राजस्व निरीक्षक व्दारा नक्शा तरमीम प्रस्ताव पेश करने पर तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 17–09–13 व्दारा राजस्व निरीक्षक व्दारा प्रस्तुत तरमीम प्रस्ताव दिनांक 13–8–13 को स्वीकार किया है और तदनुसार नक्शा तरमीम के आदेश दिये हैं। इस आदेश के विरूध्द आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक के विव्दान अभिभाषक का तर्क है कि आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि खसरा नं0 58/5 है। नक्शा तरमीम प्रस्ताव तैयार करने के पूर्व आवेदक को कोई सूचना नहीं दी गयी। आवेदक के स्वत्व एवं कब्जे की भूमि पर अधीनस्थ न्यायालय व्दारा नक्शा तरमीम के आदेश दिये हैं जो त्रुटिपूर्ण है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक क0–1 के अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदक के स्वत्व की भूमि ख0नं0 58/4 पर पटवारी नक्शे में पूर्व से पेन्सिल से तरमीम है। अनावेदक व्दारा लालस्याही से नक्शा तरमीम करने हेतु आवेदन तहसील न्यायालय में ख0नं0 58/4 एवं 71/1 में करने हेतु प्रस्तुत किया। राजस्व निरीक्षक व्दारा विधिवत सूचना आवेदक तथा अन्य सरहदी कृषकों को दी, किन्तु आवेदक व्दारा सूचनापत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये गये। उनका यह भी तर्क है कि राजस्व निरीक्षक व्दारा मौके पर विधिवत नक्शा तरमीम प्रस्ताव

तैयार किया गया है जिसकी जानकारी आवेदक को थी। आवेदक व्दारा समयावधि बाह्य निगरानी प्रस्तुत की है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ इसके जबाव में आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि नक्शा तरमीम की कोई जानकारी आवेदक को नहीं थी। आवेदक व्दारा आदेश की जानकारी होने पर जानकारी के दिनांक से समयावधि में निगरानी प्रस्तुत की गयी है तथा विलम्ब को माफ करने हेतु आवेदन म्याद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत शपथपत्र के साथ प्रस्तुत किया है जिसका खण्डन अनावेदक व्दारा नहीं किया गया है।

6/ तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार व्दारा दिनांक 07–12–12 को प्रकरण पंजीबध्द कर इश्तहार जारी करने के आदेश दिये। इस आदेश के पालन इश्तहार का प्रकाशन किया गया, इश्तहार की प्रति तहसील न्यायालय के अभिलेख पृष्ठ 8–9 पर है। तहसील न्यायालय के अभिलेख पृठ 14 पर पटवारी हल्का व्दारा जारी सूचनापत्र दिनांक 3–6–13 है जिसमें दिनांक 9–6–13 को समय 11 बजे अनावेदक की भूमि 58/4 व 71/1 का मौके पर जाकर तरमीम किये जाने का उल्लेख है। इस सूचनापत्र के कमांक 1 पर बसेताबाई का नाम अंकित है, किन्तु उसके हस्ताक्षर नहीं है। राजस्व निरीक्षक ने पंचनामें में अंकित किया है कि 'बटाधारियों को लिखित सूचना दी गयी. वसेताबाई व्दारा सूचनापत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर किया गया।' इससे स्पष्ट है कि नक्शा तरमीम के पूर्व इश्तहार का प्रकाशन भी किया गया और बटाधारियों को सूचनापत्र भी जारी किया गया, इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि नक्शा तरमीम की कार्यवाही बटाधारियों को सूचना दिये बिना की गयी। अनावेदक व्दारा आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा टेस की सत्य–प्रतिलिपि एवं राजस्व निरीक्षक व्दारा प्रस्तावित नक्शा टेस से स्पष्ट है कि जिस स्थान पर ख0नं0

58/4 की पेन्सिल से तरमीम है उसी स्थान पर राजस्व निरीक्षक व्दारा अनावेदक की भूमि नक्शा तरमीम प्रस्ताव में दर्शायी है। यह भूमि आवेदक की कब्जे की किस प्रकार है, इस संबंध में कोई भी प्रमाण आवेदक व्दारा प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी दशा में निगरानी में हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन खारिज किया जाता हैं। तहसीलदार का आदेश दिनांक 17–09–13 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0